न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–43 / 2025 दर्ज तिथिः–21.03.2025

1. केसाराम पुत्र पीराराम
   जाति पुरोहित निवासी ,गुणेशाणियों की ढाणी, तहसील धोरीमन्ना।

.......................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमना

..........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–12.08.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1261 / 769 रकबा 16–10 बीघा मौजा गुणेशाणियों की ढाणी ,पटवार हल्का धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त खसरे का सहमति विभाजन तहसील धोरीमना के आदेश दिनांक 18.09.2017 को होकर खसरा संख्या 1261 / 769 मूल जो प्रार्थी के नाम से 13–16 बीघा का रहा परन्तु उस समय भी बंटवारा अनुसार तरमीम नहीं कर लट्ठा ट्रेस में आंशिक त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी तथा इसके बाद 1 बीघा का का खसरा फिर से अलग कर मूल खसरा संख्या 12–10 बीघा का रहा जिसमें नक्शा अनुसार जो बीच में सकरा [illegible] जिसकी चौड़ाई आठ गठ्ठा रही। प्रार्थी ने अपने खसरे को सड़क से जोड़ने के लिए [illegible] आदेश दिनांक 26.06.2020 के तहत रास्ते के रूप में समर्पित किया जो रकबा [illegible]4 बीघा भूमि राज हक में उस नक्शे में उतरी भुजा व डोट–डोट के मध्य की भूमि समर्पण की तथा [illegible] नक्शे अनुसार तरमीम करनी थी लेकिन उस समय के [illegible] काल में हल्का पटवारी ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:29 IST
Reason: SelfAttested

इच्छा अनुसार भू–माफिया के कहने अनुसार समर्पण आदेश के विपरीत कलमी त्रुटि से गलत तरमीम कर दी। प्रार्थी को त्रुटिपूर्ण तरमीम का पता चलने पर दिनांक 11.03.2025 को नकल प्राप्त कर त्रुटिपूर्ण तरमीम को संशाोधित करने का उक्त आवेदन पेश किया है। उक्त समर्पण के आधार पर खसरा संख्या 1261/769 में से की गई तरमीम से 0–14 बीघा का नया खसरा कायम करने से 1400/1261 जो 0–14 बीघा यानि 0.1133 है0 का बनाकर शेष जो प्रार्थी का मूल खसरा बना जिसके नंबर 1403/1261 बन गए । समर्पण के अनुसार तरमीम करने पर 1403/1261 के मध्य भाग में बने घर तक नवसृजित खसरा संख्या 1400/1261 बनता तथा इस खसरे के जोड़ा जोड सड़क तक 1403/1261 की भूमि रहती। इस प्रकार 20 फिट का खसरा संख्या 1400/1261 बनता तथा खसरा संख्या 1403/1261 सड़क तक इस रास्ते के सहारे 26 फिट का रहता परन्तु भू–माफिया ने तरमीम में मिलावट करते हुए खसरा संख्या 1203/1261 के आधे हिस्से तक के समर्पण को हटाकर प्रार्थी के खेत में घुसते ही बन्द कर देने से 50 फिट का रास्ता बनाकर सरकार के पक्ष में करवा दिया तथा अब इन्हीं भू–माफिया ने खसरा संख्या 1203/1261 में धोखाधड़ी से बंटवारा किया तो पूरे खसरे में नया रास्ता का रंग भरा तब प्रार्थी को आधे खसरे पहले ही समर्पण था वो कहा गया तथा शक होने पर उक्त धोखाधडी से करवाये गए बंटवारे को रोकने का निवेदन किया गया लेकिन भू–माफिया द्वारा तहसील से मिलावट कर जबरदस्ती बंटवारे का नामान्तकरण भरवा दिया तथा प्रार्थी को बिना बताये खसरा संख्या 1400/1261 की किस्म परिवर्तन करवा दी जो अनुचित व अवैध होने से समर्पण के अनुसार तरमीम दुरस्त करते हुए इसके बाद धोखाधड़ी से किया गया बंटवारा व खसरा संख्या 1400/1261 की किस्म परिवर्तन अपास्त योग्य है। अतः प्रार्थी के समर्पण अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण तहसीलदार धोरीमना से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ/2025/786 दिनांक 03.04.2025 के संलग्न मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया जिस पर न्यायालय हाजा के पत्र दिनांक 24.06.2025 के तहत विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार तलब की गई जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक भू.अ/2025/1886 दिनांक 22.07.2025 के संलग्न मौके की तथ्यात्मक बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा को प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिशल किया गया।
3. उक्त आवेदन के संबंध में प्रार्थी हनुमानराम पुत्र सुखराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का वास्ते पक्षकार बनाने का पेश किया गया जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदन में वर्णित खसरा संख्या 1400/1261 रकबा 0.1133 है किस्म गैर मुमकिन रास्ते का उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है जिस पर अप्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा सं[illegible]/769 किस्म गै.मु.आवासीय व खेत खसरा संख्या 1541/1338 [illegible] हुआ है तथा अप्रार्थी उक्त गै.मु.रास्ते का उपयोग करता है जिसकी तरमीम दुरस्ती से अप्रार्थी भी प्रभावित है अतः अप्रार्थी को आवश्यक पक्षकार संयोजित कर उसको सुना जाना न्यायोचित होगा। जबकि प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए दौराने बहस कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार नहीं होने से उसे आवश्यक पक्षकार को रूप में संयोजित किया जाना विधिसंमत नहीं है। अतः उभयपक्ष की बहस पर बाद मनन तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी हनुमानराम उक्त विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार नहीं होने से उसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार हेतु को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

4. तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वर्तमान भू नक्शे में खसरा संख्या 1400/1261 रकबा 0.1133 है0 की तरमीम मूल समर्पण नामे में प्रस्तावित नक्शे से भिन्न होने का उल्लेख कर प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट 'बी' अनुसार किया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया है। जिससे रास्ते की तरमीम समर्पणनामे के अनुसार होने से मौके व रेकर्ड में समानता रहेगी।

5. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नवीन विभाजित खसरे की तरमीम गलत दर्शाई गई है जो परिशिष्ट 'A' अनुसार दर्शाई गई है। नवीन विभाजित खसरे की तरमीम मौका एवं समर्पण दस्तावेज के में दर्शाऐ अनुसार परिशिष्ट 'B' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 1400/1261/0.1133 है0 की परिशिष्ट ' B ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर समर्पणनामा अनसार तरमीम में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित है।

जिरह

6. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अंतिम बहस की गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट ' B ' के अनुसार खसरा संख्या 1400/1261/0.1133 है0 की तरमीम दुरस्त करने से मूल समर्पण के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा रेकर्ड अनुसार रहेगा। इसलिए खसरा संख्या 1400/1261/0.1133 है0 की परिशिष्ट 'B' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती की इन्द्राज जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. विप्रार्थी जरिये तहसीलदार धोरीमना सरकारी पैरोकार उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'B' के अनुसार तरमीम दुरस्ती दुरस्त किया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष

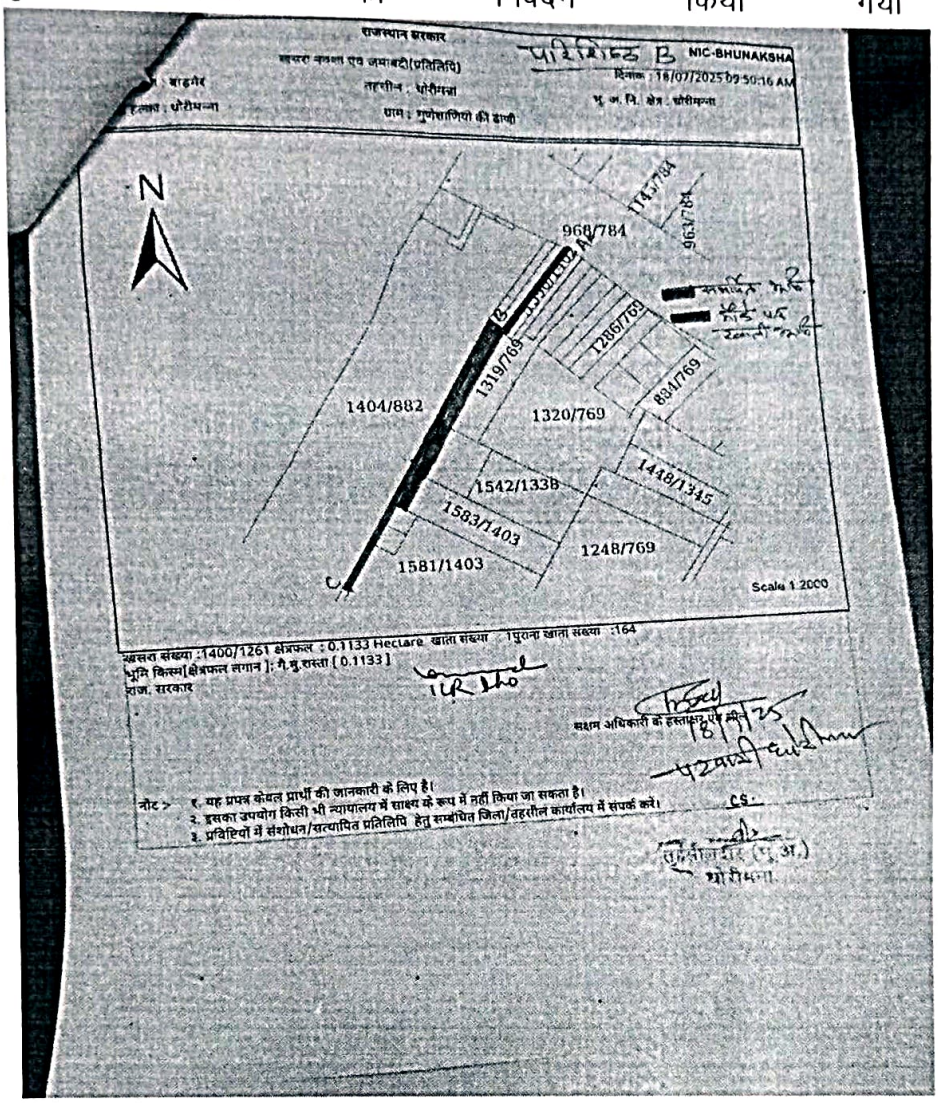

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** समर्पण उपरान्त निर्मित खसरा संख्या 1400 / 1261 / 0.1133 है0 की वर्तमान तरमीम समर्पण दस्तावेज व नजरी नक्शा के अनुसार नहीं होने तथा भू–न[illegible] अंकित होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.0[illegible]025 [illegible] साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'' B'' के अनुसार तरमीम दुरुस्ती क[illegible]जस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट '' B'' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट '' B'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को लिखवायां जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

12/8/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:29 IST
Reason: SelfAttested